



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072022-237753
CG-DL-E-30072022-237753

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3360]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944

No. 3360]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

का.आ. 3525(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 970(अ) तारीख 03 मार्च 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में NH71 के पाइलर-कलूर खंड के (कि.मी 88.800 से कि.मी. 95.717) कि.मी. 55.900 से कि.मी.95.717 (जॉयंट कलैक्टर, कलक्टर, तिरुपति, तिरुपति डिस्ट.,) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3ए की उप-धारा (3) के तहत "10 मार्च 2022" की तारीख को "साक्षी (तेलुगु)" और "डेक्लर क्रॉनिकल (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 जिलों से 26 जिलों में पुनर्गठित/नए जिलों को पुनर्गठित किया और इन जिलों में से, तिरुपति नए जिले एक हैं। तदनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या जारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के का.आ. 2216 (अ) दिनांक 13 मई 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 13 मई 2022 में प्रकाशित।

और जबकि सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया जाएगा। किया जाना चाहिए ;

और अब, केंद्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उप-धारा (2) के अनुसरण में, एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूरी तरह से निहित होगी। केंद्र सरकार, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त। जाऊंगा।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-71 के स्तंभ-कलूर खंड के मूल हिस्से के वास्तविक हिस्से (किमी 88.800 से केएम 95.717) में गिरने वाली, संरचना के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: तिरुपति			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चंद्रगिरि				
	गांव का नाम: मितापलेम				
1	442	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.0404685	बी. वेंकटरामी रेड्डी (४४२/१)
2	447	सरकारी(पोरम्बोक)	ड्राई	0.0768901	कुंटा (४४७/१)
3	453/1	निजी(पेट्ट)	ड्राई	0.1274758	जी. रामलक्ष्मैया अंड वी. सुधाकर नायडू (४५३/१बी)
4	453/2	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.109265	डी. प्रकाश (४५३/२बी)
5	453/3	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.1578272	डी. प्रकाश (४५३/३बी)
6	454/2A	सरकारी(पोरम्बोक)	ड्राई	0.0687964	गौत. पोरम्बोक (कुंटा) (४५४/२ए२)
7	454/2B	सरकारी(गौत)	ड्राई	0.0020234	गौत. पोरम्बोक (कुंटा) (४५४/२बी२)
8	456	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.0323748	एँस्. बलराम राजू एँल्. लक्ष्मीदेवम्मा (४५६/२)
9	457/2	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.0566559	एँस्. बलराम राजू जी. रेडुय्य नायडू अंड आदर्स (४५७/२बी)
10	457/3	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.0485622	जी. चंद्रशेखर रेड्डी (४५७/३बी)
11	458/2	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.0323748	जी. चंद्रशेखर रेड्डी

					(४५८/२बी)
12	458/3	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.0647496	एँम्. डेविड क्रिस्टोफर (४५८/३बी)
13	461/1A	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.2084128	सीलमसेट्टी विजया मुक्त (४६१/१ए२)
14	461/2	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.3075606	एँम्. चक्रवर्ती एगो फूड पीवीटी एलटीडी (शेड) (४६१/२बी)
	गांव का नाम: नागपटला				
15	26/2A	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.0020234	बी.भार्गवी (२६/२ए१)
16	26/2B	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.1274758	बी.रमेश कुमार (२६/२बी१)
17	26/2C	निजी(पट्टा)	ड्राईभ्	0.3399354	बी.प्रताप (२६/२सी१)
18	28	सरकारी(गवर्नमेंट)	पोरोम्बोक	0.2509047	डंपिंग यार्ड (गौत) (२८/२)
19	31/1	सरकारी(डीकेटी)	ड्राई	0.0930776	असाइन लैंड (वाकांत लैंड) (३१/१बी)
20	31/2	सरकारी(डीकेटी)	ड्राई	0.0728433	असाइन लैंड (वाकांत लैंड) (३१/२बी)
21	31/3	सरकारी(डीकेटी)	ड्राई	0.1335461	असाइन लैंड (वाकांत लैंड) (३१/३ए)
22	31/4	सरकारी(डीकेटी)	ड्राई	0.0566559	असाइन लैंड (वाकांत लैंड) (३१/४बी)
23	31/5	सरकारी(डीकेटी)	ड्राई	0.14771	असाइन लैंड (वाकांत लैंड) (३१/५ए)
24	31/6	सरकारी(डीकेटी)	ड्राई	0.4593175	असाइन लैंड (वाकांत लैंड) (३१/६बी)
25	32/1	सरकारी(डीकेटी)	ड्राई	0.0020235	असाइन लैंड (वाकांत लैंड) (३२/१ए)
26	32/2	निजी(पेट्ट)	ड्राई	0.0849838	असाइन लैंड (वाकांत लैंड) (३२/२ए)
27	327	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.1214055	डी.चन्द्रबाबू, ए.लक्ष्मीकंठम्मा& आर्.कृष्णचैतन्य (३२७/३)
28	328&330	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.2670921	ए.सरधा&आर्.कृष्णचैतन्य (३२८/३)
29	333	सरकारी(गवर्नमेंट (गयालु))	ड्राई	0.052609	गौत., लैंड (गयालु) (३३३/१)

30	4	सरकारी(गवर्नमेंट)	ड्राई	0.716293	गौत., स्किल डेवलपमेंट (गौत) (४/१)
			कुल	4.2613337	

[फा. सं. NHAI/PIU-TPT/3(a)/P-C/II/2017/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2022

S. O. 3525(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.No. 970(E) dated 03rd March 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the re-aligned portion (from Km.88.800 to Km.95.717) of Piler - Kalur Section of NH-71 in the disrict of Tirupati in the state of ANDHRA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sakshi(Telugu)” and “Deccan Chronicle(English)” both dated 10th March 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

Govt. of Andhra Pradesh restructured / formed new Districts from 13 Districts to 26 Districts and out of these Districts, Tirupati is one of the new Districts. Accordingly, Central Government authorized Joint Collector, Tirupati as Competent Authority for Land Acquisition for the villages falling in Tirupati District from erstwhile Chittoor District in the Notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2216(E) dated 13th May 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), dated 13th May 2022;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling in the re-aligned portion (from Km.88.800 to Km.95.717) of Piler - Kalur Section of NH-71 in the disrict of Tirupati in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Tirupati		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chandragiri				
	Village: Mittapalem				
1	442	Private(Patta)	Dry	0.0404685	B. Venkatarami Reddy 442/1

2	447	Government(Poramboke)	dry	0.0768901	Kunta 447/1
3	453/1	Private(Patta)	Dry	0.1274758	G. Ramalakshmaiah and V. Sudhakar Naidu 453/1B
4	453/2	Private(Patta)	Dry	0.109265	D. Prakash 453/2B
5	453/3	Private(Patta)	Dry	0.1578272	D. Prakash 453/3B
6	454/2A	Government(Poramboke)	Dry	0.0687964	Govt. poramboke (Kunta) 454/2A2
7	454/2B	Government(Govt)	Dry	0.0020234	Govt. poramboke (Kunta) 454/2B2
8	456	Private(Patta)	Dry	0.0323748	S. Balarama Raju L. Lakshmiddevamma 456/2
9	457/2	Private(Patta)	Dry	0.0566559	S. Balarama Raju G. Reddaiah Naidu and others 457/2B
10	457/3	Private(Patta)	Dry	0.0485622	G. Chandrasekhar Reddy 457/3B
11	458/2	Private(Patta)	Dry	0.0323748	G. Chandrasekhar Reddy 458/2B
12	458/3	Private(Patta)	Dry	0.0647496	M. David Christopher 458/3B
13	461/1A	Private(Patta)	Dry	0.2084128	Seelamsetty Vijaya Muktha 461/1A2
14	461/2	Private(Patta)	Dry	0.3075606	M. Chakravarthi Agro Foods Pvt Ltd (shed) 461/2B
	Village: Nagapatla				
15	26/2A	Private(Patta)	Dry	0.0020234	B.BHARGAVI 26/2A1
16	26/2B	Private(Patta)	Dry	0.1274758	B.RAMESH KUMAR 26/2B1
17	26/2C	Private(Patta)	Dry	0.3399354	B.PRATHAP 26/2C1
18	28	Government	Poramboke	0.2509047	Dumping yard (GOVT) 28/2
19	31/1	Government(DKT)	Dry	0.0930776	Assigned land (Vacant land) 31/1B
20	31/2	Government(DKT)	Dry	0.0728433	Assigned land (Vacant land) 31/2B
21	31/3	Government(DKT)	Dry	0.1335461	Assigned land (Vacant land) 31/3A
22	31/4	Government(DKT)	Dry	0.0566559	Assigned land (Vacant land) 31/4B
23	31/5	Government(DKT)	Dry	0.14771	Assigned land (Vacant land) 31/5A

24	31/6	Government(DKT)	Dry	0.4593175	Assigned land (Vacant land) 31/6B
25	32/1	Government(DKT)	Dry	0.0020235	Assigned land (Vacant land) 32/1A
26	32/2	Private(Patta)	Dry	0.0849838	Assigned land (Vacant land) 32/2A
27	327	Private(Patta)	Dry	0.1214055	D.CHANDRABABU, A.LAKSHMIKANTHAMMA& R.KRISHNACHAITANYA 327/3
28	328&330	Private(Patta)	Dry	0.2670921	A.SARADHA&R.KRISHNACHAITANYA 328/3
29	333	Government(Government (Gayalu))	Dry	0.052609	Govt., Land (Gayalu) 333/1
30	4	Government	Dry	0.716293	Govt., Skill development (Govt) 4/1
			TOTAL	4.2613337	

[F. No. NHAI/PIU-TPT/3(a)/P-C/II/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director